

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 386/2024
अनवान : -

1. दयाराम पुत्र जीवणसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. जीवण सिंह उर्फ जीवन सिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. ईश्वर पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
3. रामचन्द्र पुत्र जीवणसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
4. राकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
5. जमना देवी पुत्री जीवनसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
6. कमला पुत्री जीवनसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
8. मीरा पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
9. रेणु पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
10. मोनिका पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 111/25 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 136/133 के कुल खसरे 6 कुल तादादी 0.7080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2043-2076 के खाता संख्या 99/5 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 1.7710 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 161/20 के कुल खसरे 2 की कुल 6.7040 है0 भूमि में से 759/6704 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा 6 जो भी हक

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा है वह अपने पिता/भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की पुत्रिया व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पिता व भाईयों क पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 ता 10 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 4 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादीया संया 5 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 9 जीजीएम के खाता संख्या 111/25 के प0 नं0 390/469 (34) के किला नं. 21 व 22 की 0.506 है0 व किला नं. 23 की 0.2530 है0 के मिन पश्चिम की 0.1265 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा किला नं. 23 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 0.1265 है0, 24 व 25 की 0.506 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 11 बाराणी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 136/133 के कुल खसरे 6 कुल तादादी 0.7080 है0 भूमि के प0 नं0 389/463 (329) किला नं. 25 की 0.2530 है0 व प0 नं0 389/464 (341) किला नं. 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.0760 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं प0 नं0 389/463 (329) के किला नं. 24 की 0.2530 है0 व प0 नं0 389/464 (341) के किला नं. 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/3 की 0.0760 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2043-2076 के खाता संख्या 99/5 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 1.7710 है0 भूमि प0 नं0 375/473 (60) के किला न. 23 की 0.2530 है0 व प0 नं0 375/475 (65) के किला नं. 3/1 की 0.2280 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7/1 की 0.2230 है0, किला नं. 8 के मिन पश्चिम की 0.1565 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं प0 नं0 375/473 (60) के किला न. 21/1 की 0.0100 है0, 22 की 0.2530 है0 प0 नं0 375/475 (65) किला नं. 1/1 की 0.0100 है0, 2/1 की 0.2280 है0, 2/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 के मिन पूर्व की 0.0965 है0, 9 की 0.2530 है0, 10/1 की 0.0100 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 161/20 के कुल खसरे 2 की कुल 6.7040 है0 भूमि में से 759/6704 हिस्सा भूमि में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी हैं। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

al

अखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता/भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 ता 8 जो कि वादी की पुत्रिया व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पिता व भाईयों क पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 ता 10 जो कि प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 4 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादीया संया 5 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बचा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 111/25 के कुल खसरे 5 का कुल

क्षेत्रफल 1.2650 है० भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 136/133 के कुल खसरे 6 कुल तादादी 0.7080 है० भूमि एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2043-2076 के खाता संख्या 99/5 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 1.7710 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 161/20 के कुल खसरे 2 की कुल 6.7040 है० भूमि में से 759/6704 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 जीजीएम के खाता संख्या 111/25 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 390/469 (34) के किला नं. 21 व 22 की 0.506 है० व किला नं. 23 की 0.2530 है० के मिन पश्चिम की 0.1265 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला नं. 23 की 0.2530 है० भूमि में से मिन पूर्व की 0.1265 है०, 24 व 25 की 0.506 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 136/133 के कुल खसरे 6 कुल तादादी 0.7080 है० भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 389/463 (329) किला नं. 25 की 0.2530 है० व प० नं० 389/464 (341) किला नं. 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 5/3 की 0.0760 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 389/463 (329) के किला नं. 24 की 0.2530 है० व प० नं० 389/464 (341) के किला नं. 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 4/3 की 0.0760 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2043-2076 के खाता संख्या 99/5 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 1.7710 है० भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 375/473 (60) के किला न. 23 की 0.2530 है० व प० नं० 375/475 (65) के किला नं. 3/1 की 0.2280 है०, 3/2 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 7/1 की 0.2230 है०, किला नं. 8 के मिन पश्चिम की 0.1565 है० का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 375/473 (60) के किला न. 21/1 की 0.0100 है०, 22 की 0.2530 है० प० नं०

375/475 (65) किला नं. 1/1 की 0.0100 है, 2/1 की 0.2280 है, 2/2 की 0.0250 है
गै 0 मु 0 रास्ता, 8 के मिन पूर्व की 0.0965 है, 9 की 0.2530 है, 10/1 की 0.0100 है भूमि
का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढीलकी
जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 161/20 के कुल खसरे
2 की कुल 6.7040 है भूमि में से 759/6704 हिस्सा भूमि का वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 3
को ब 0 हि 0 ब 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व ढीलकी जाटान के खाता
संख्या 164/6 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड
में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल
किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय
आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड
दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की
जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २९/०७/२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 386/2024

अनवान : -

1. दयाराम पुत्र जीवणसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. जीवण सिंह उर्फ जीवन सिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. ईश्वर पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
3. रामचन्द्र पुत्र जीवणसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
4. राकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
5. जमना देवी पुत्री जीवनसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
6. कमला पुत्री जीवनसिंह जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
8. मीरा पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
9. रेणु पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
10. मोनिका पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 386 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 जीजीएम के खाता संख्या 111/25 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.2650 है0 भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 390/469 (34) के किला नं. 21 व 22 की 0.506 है0 व किला नं. 23 की 0.2530 है0 के मिन पश्चिम की 0.1265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला नं. 23 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 0.1265 है0, 24 व 25 की 0.506 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 136/133 के कुल खसरे 6 कुल तादादी 0.7080 है0 भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 389/463 (329) किला नं. 25 की 0.2530 है0 व प0 नं0 389/464 (341) किला नं. 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.0760 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 389/463 (329) के किला नं. 24 की 0.2530 है0 व प0 नं0 389/464 (341) के किला नं. 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/3 की 0.0760 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 जीजीएम

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2043-2076 के खाता संख्या 99/5 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 1.7710 है0 भूमि में जीवनसिंह पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 375/473 (60) के किला न. 23 की 0.2530 है0 व प0 नं0 375/475 (65) के किला नं. 3/1 की 0.2280 है0, 3/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7/1 की 0.2230 है0, किला नं. 8 के मिन पश्चिम की 0.1565 है0 का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 375/473 (60) के किला न. 21/1 की 0.0100 है0, 22 की 0.2530 है0 प0 नं0 375/475 (65) किला नं. 1/1 की 0.0100 है0, 2/1 की 0.2280 है0, 2/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 के मिन पूर्व की 0.0965 है0, 9 की 0.2530 है0, 10/1 की 0.0100 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 161/20 के कुल खसरे 2 की कुल 6.7040 है0 भूमि में से 759/6704 हिस्सा भूमि का वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व ढीलकी जाटान के खाता संख्या 164/6 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर